- बीमा कंपनियां इरडा के नए दिशानिर्देशों के अनुरूप लाएंगी उत्पाद
- 1 जनवरी 2014 से खरीदी गई पॉलिसी पर लागू होंगे नए निर्देश

नए साल से नई खासियतों संग आएंगी जीवन बीमा पॉलिसियां

- पॉलिसी खरीदने और बेचने के तरीके में आ जाएगा व्यापक बदलाव
- पारंपरिक, वेरिएबल और यूलिप तीनों तरह की पॉलिसियों में होगा परिवर्तन

अनूप राउ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस

देश की जीवन बीमा इंडस्ट्री में बीमा खरीदने और बेचने दोनों के ही तरीके में 1 जनवरी 2014 से आमूल-चूल बदलाव आ जाएंगे। आज बाजार में जितने भी जीवन बीमा उत्पाद मौजूद हैं, उन्हें कंपनियां वापस ले लेंगी और उनकी जगह नए संशोधित बीमा प्लान लांच करेंगी। नई बीमा पॉलिसियां बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) के नए दिशानिर्देशों के तहत पेश की जाएंगी। जीवन बीमा कंपनियां अपने मौजूदा बीमा प्लान को इरडा के नए दिशानिर्देश के अनुरूप तैयार कर रही हैं।

एलआईसी की बीमा पॉलिसियों पर भी अब लगेगा सर्विस टैक्स

एक जनवरी 2014 से भारतीय जीवन बीमा निगम अपनी पॉलिसी पर सर्विस टैक्स ग्राहकों से लेगा। इसके तहत ग्राहक को प्रीमियम की राशि पर 3.09 फीसदी सर्विस टैक्स देना होगा। यानी अगर आप किसी पॉलिसी पर 10 हजार रुपये का प्रीमियम दे रहे हैं, तो उस पर पहले साल 309 रुपये का सर्विस टैक्स लगेगा। अभी तक एलआईसी अपने ग्राहकों से सर्विस टैक्स नहीं लेती है। एलआईसी खुद अपने फंड से सेवाकर का भार वहन करती थी, जबकि निजी बीमा कंपनियां पहले से ही ग्राहकों से सर्विस टैक्स ले रही हैं। सर्विस टैक्स के प्रतिशत की गणना प्रीमियम में जोखिम के हिस्से आने वाली राशि के आधार पर किया जाएगा जिससे शुद्ध बीमा उत्पाद माने जाने वाले टर्म बीमा पर सर्विस टैक्स की दर अधिक होगी।

ग्राहकों के लिए फायदेमंद होंगे नए बीमा नियम

नए जीवन बीमा प्लान कई नई विशेषताओं के साथ ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। इरडा ने जीवन बीमा उत्पादों को ग्राहकों के हितों के और अधिक अनुकूल बनाने के मद्देनजर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के अंतर्गत बीमा उत्पादों की तीन श्रेणियां पारंपरिक बीमा योजनाएं, वेरिएबल बीमा योजनाएं (वीआईपी) और यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं (यूलिप) हैं। पारंपरिक जीवन बीमा प्लान कमोबेश पुराने बीमा प्लान की तरह ही डिजाइन किए गए हैं। यह प्लान पहले की तरह दो वेरिएंट पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान में उपलब्ध होंगे। पार्टिसिपेटिंग पॉलिसियों में बोनस फंड परफार्मेंस से संबद्ध होगा और पहले से इसकी घोषणा नहीं की जाएगी न ही गारंटी तय होगी। लेकिन एक बार बोनस की घोषणा हो जाती है, तो इसकी गारंटी सुनिश्चित हो जाएगी। सामान्यतः इसका भुगतान बीमाधारक की मृत्यु या मैच्योरिटी बेनिफिट की स्थिति में ही किया जाता है। दूसरी ओर, नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी में रिटर्न का खुलासा पॉलिसी की शुरुआत में ही हो जाएगा। दोनों ही मामलों में बीमाधारक को शुद्ध रिटर्न की गणना कुल लागत के आधार पर स्वयं करनी चाहिए। नए पारंपरिक उत्पादों में अधिक डेथ कवर होगा।

वेरिएबल बीमा योजनाओं के अंतर्गत शुरुआत में ही एक न्यूनतम रिटर्न दर की गारंटी दी जाएगी, जिसे फ्लोर रेट कहा जाता है। यूलिप और वेरिएबल प्लान के मामले में रिटर्न लागत की अधिकतम सीमा के अनुरूप होगा। इस प्रावधान से पांचवें साल में यील्ड का ह्रास चार फीसदी से अधिक नहीं होगा वहीं, 15वें साल से यह घटकर 2.25 फीसदी आ जाएगा। यूलिप के लिए बीमा कंपनियों को मासिक आधार पर यील्ड के ह्रास की सूचना पॉलिसीधारक को देनी होगी। यील्ड ह्रास (रिडक्शन इन यील्ड) से मतलब सकल और शुद्ध यील्ड के अंतर से है और यह विभिन्न चार्जेज के कारण फंड की इनवेस्टमेंट ग्रोथ में आई कमी को दर्शाता है।

इरडा के नए दिशानिर्देशों के तहत शार्ट टर्म पॉलिसियों पर कमीशन कम हो जाएगा। सभी उत्पादों के लिए एजेंट के कमीशन की राशि प्रीमियम भुगतान की अवधि के मुताबिक तय होगी। वहीं ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने पर अब कमीशन का लाभ पॉलिसीधारक को मिलेगा।

जरूरत के अनुसार बीमा बिक्री को मिलेगा बढ़ावा

इरडा के नए दिशानिर्देशों से जरूरत के आधार पर बीमा उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, ग्राहकों को अधिक जीवन बीमा कवर और बेहतर सरेंडर वैल्यू का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बीमा योजनाओं को लेकर नियम और शर्तों में अधिक पारदर्शिता आएगी, जो ग्राहकों के हितों के अनुरूप होंगे। नए निर्देशों से लंबी अवधि की बीमा योजनाओं की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा जो ग्राहकों और बीमा सलाहकारों दोनों के लिए ही हितकारी होगा। यानी, जीवन बीमा योजनाओं का पूरी तरह मेकओवर हो जाएगा। यहां यह ध्यान रखने वाली बात है कि नए बदलाव 1 जनवरी 2014 या उसके बाद खरीदी जाने वाली पॉलिसियों पर लागू होंगे। इससे पहले लिए गए प्लान पर पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे।

क्या-क्या होंगे बदलाव

पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगी ज्यादा राशि

इरडा की नई गाइडलाइन के तहत अब बीमित को अपनी पॉलिसी समय से पहले सरेंडर करने पर जमा की गई पूंजी में से ज्यादा राशि मिलेगी। अभी तक पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनियां पहले साल के प्रीमियम की गणना नहीं करती थीं। अब नए नियम में कंपनियों को सरेंडर के समय जमा किए गए प्रीमियम की राशि में कम से कम 30 फीसदी राशि देनी होगी। यही नहीं, यह सीमा चार साल प्रीमियम चुकाने के बाद 50 फीसदी होगी। जो कि 90 फीसदी तक जा सकती है।

कम हो सकता है एलआईसी का प्रीमियम

एलआईसी का बेसिक टर्म कवर निजी बीमा कंपनियों के सबसे सस्ते कवर की तुलना में लगभग 70-80 फीसदी महंगा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि एलआईसी अभी भी जोखिम का आकलन 1994-96 के मोर्टेलिटी टेबल्स के आधार पर करती है। हालांकि व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना 1990 के 58.2 वर्ष से बढ़कर 2010 में 56.5 वर्ष हो गई है। एक जनवरी से एलआईसी जोखिम का आकलन इरडा के 2006-08 आधारित मोर्टेलिटी रेट्स पर करेगा। इससे एलआईसी का प्रीमियम कम हो सकता है।

पहले से ज्यादा मिलेगा बीमा कवर

अगर बीमित की उम्र 45 साल तक है, तो उसे सालाना प्रीमियम का कम से कम 10 गुना बीमा कवर मिलेगा अथवा मृत्यु की तारीख पर यदि बीमित की उम्र 45 साल से ज्यादा है, तो बीमा पर कवर सात गुना तक होगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 45 साल से कम आयु होने पर डेथ बेनेफिट प्रीमियम का 125 फीसदी या मेच्योरिटी पर मिनिमम गारंटीड रकम के बराबर होगा। सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 45 साल से अधिक उम्र में मृत्यु पर बीमा कवर सिंगल प्रीमियम का 110 फीसदी या न्यूनतम गारंटीड रकम के बराबर होगा।

सरेंडर राशि पाने के लिए कम समय में होंगे पात्र

अभी तक जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करने पर पॉलिसी धारक को बीमा कंपनी की ओर से सरेंडर राशि तभी मिलती थी, जब कम से कम तीन साल तक प्रीमियम बीमाधारक द्वारा अदा किया गया हो। बीमा नियामक इरडा की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक अब अगर पॉलिसी की अवधि 10 साल है, तो बीमा धारक दो साल प्रीमियम चुकाने के बाद सरेंडर राशि प्राप्त कर सकेगा। हालांकि 10 साल से ज्यादा की अवधि पर तीन साल का ही नियम लागू होगा।

एजेंट को मिलेगा कम कमीशन

पहले की तुलना में अब बीमा कंपनियों के एजेंटों को पॉलिसी कराने पर कंपनी से कमीशन के रूप में कम रकम मिलेगी। नए नियम में यदि किसी पॉलिसी की अवधि आठ साल है, तो एजेंट को पहले साल के प्रीमियम पर 24 फीसदी कमीशन मिलेगा। पहले यह सीमा 35 फीसदी थी। इसी तरह 10 साल की अवधि पर 30 फीसदी कमीशन मिलेगा। एजेंट 12 साल या उससे ज्यादा की अवधि पर ही पहले साल के प्रीमियम पर 35 फीसदी कमीशन प्राप्त कर सकेगा।